न्यायालय सहायक कलक्टर (शहर) ,बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– बिन्दु खत्री आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या:– 57/2015
आर.सी.एम.एस. नं.:– 2015/00179

1/1 श्रीमती अणची बेवा केशुराम जाति माली निवासी बांठिया स्कूल के पास, भीनासर तहसील व जिला बीकानेर।

1/2 गणेश पुत्र केशुराम जाति माली निवासी हरीराम जी मंदिर के पास, भीनासर तहसील व जिला बीकानेर।

1/3 मनोज पुत्र केशुराम जाति माली निवासी हरीराम जी मंदिर के पास, भीनासर तहसील व जिला बीकानेर।

1/4 श्रीमती हरखी देवी पत्नी श्यामजी सांखला पुत्री केशुराम जाति माली, निवासी पुरानी आबादी, श्री गंगानगर।

1/5 श्रीमती तीजा देवी पत्नी दुर्गादत्त तंवर पुत्री केशुराम जाति माली निवासी खुंजा तहसील व जिला हनुमानगढ़।

1/6 श्रीमती सरोज पत्नी जीतमल तंवर जाति माली निवासी पंचमुखा हनुमानजी मंदिर के पास, रानीबाजार बीकानेर।

1/7 श्रीमती चन्द्रकला पत्नी मनोज कुमार कच्छावा पुत्री केशुराम जाति माली निवासी पंवारसर मोहल्ला बीकानेर।

1/8 श्रीमती लक्ष्मी देवी पत्नी ओमप्रकाश तंवर पुत्री केशुराम जाति माली निवासी पंचमुखा हनुमानजी मंदिर के पास रानी बाजार बीकानेर।

2 बंशीलाल पुत्र केशुराम जाति माली, निवासी एन.एच. 89, किसमीदेसर जने वाले मार्ग पर स्थित आटे की चक्की/दुकान, पॉवर हाऊस के सामने, नोखा रोड़, किसमीदेसर, बीकानेर।

–प्रार्थीगण–

–बनाम–

1 श्याम सुन्दर पुत्र श्री रामानाथ जाति भारद्वाज (ब्राह्मण) निवासी शर्मा डेयरी, रानी बाजार, बीकानेर।

2 स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, बीकनेर।

–अप्रार्थीगण–

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13
जाब्ता दीवानी विरुद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 19.05.2015

उपस्थिति अभिभाषक –

1 श्री सुरेशचन्द्र व्यास प्रार्थीगण की ओर से।

2 श्री सत्यनारायण तिवाड़ी अप्रार्थीगण की ओर से।

–:निर्णयः– **दिनांकः–**

1 संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी केशुराम पुत्र किशनाराम एवं बंशीलाल पुत्र केशुराम की ओर से उनके अभिभाषक श्री सुरेश चन्द्र व्यास द्वारा प्रा.पत्र अ0 आदेश 9 नियम 13 जाब्ता दिवानी विरुद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 19.05.2015 इस आशय का पेश किया गया कि न्यायालय हाजा में अनवानी प्रकरण श्याम सुन्दर बनाम केशुराम आदि मु.न. 69/2013 बाबत् बेदखली में इकतरफा निर्णय व डिक्री दिनांक 19.05.2015 को पारित की गयी, उक्त प्रकरण में कानूनी प्रावधानों के तहत प्रतिवादीगण पर व्यक्तिगत तामील नहीं लिये सम्मन कभी जारी ही नहीं किये गये। किसी तामील कूनीन्दा द्वारा प्रार्थीगण को न्यायालय के समक्ष की सूचना न कभी दी और ना ही तामील ऑफर की। दीवानी प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत सम्मन की व्यक्तिगत तौर पर तामील किन्हीं कारणों से नहीं होने, टालम टोल किये जाने की रिपोर्ट पेश होने पर परिवार के किसी बालिग सदस्य पर तामील करवाने अथवा पक्षकार के अंतिम रिहायशी स्थान व न्यायालय के मुख्य स्थान पर चस्पानगी से तामील करवाने का प्रावधान है। वादी के द्वारा माननीय न्यायालय में कोई प्रा.पत्र या शपथ–पत्र इस आशय का पेश नहीं हुआ जिस पर न्यायालय ने संतुष्टि एंव विश्वास कर रजिस्टर्ड सम्मन तामील के आदेश दिए हो। रूटीनी तौर पर रजिस्टर्ड एडी सम्मन जारी करने के आदेश कानूनन नहीं दिए जा सकते। आदेश 5 नियम 10 ए सन् 2002 में ही ऑमिट हो चुका है। अतः रजिस्टर्ड एडी तामील का आदेश ही प्रारम्भतः विधि विरुद्ध, बिना क्षेत्राधिकार, शून्य व बेअसर था। अप्रार्थी सं. 2 का जवाब दावा लिया जाना और पक्ष सुना जाना भी इस प्रकरण में जरूरी था। स्टेट का जवाब बंद कर वाला–वाला वादी की साक्ष्य रिकॉर्ड किया जाना कानूनन गलत है। जवाब दावा बंद करने की स्टेट की ओर से कोई प्रार्थना नहीं थी। यदि पक्षकार जोड़ा गया है, तो स्टेट का पक्ष भी दो पक्षकारों के वादगत भूमि के कब्जे काश्त के मामले में, अतीव महत्वपूर्ण होने के कारण रखा जाना व सुना जाना चाहिए था। अतः प्रा.पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि एकतरफा निर्णय व डिक्री दिनांक 19.05.2015 अपास्त कर प्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिया जावे।

2 अप्रार्थी संख्या 1 को जरिये नोटिस तलब किया गया उनकी ओर से दिनांक 01.05.2015 को उनके अभिभाषक श्री सत्यनारायण तिवाड़ी ने वकालतनामा व जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय पेश किया। अनवानी प्रकरण श्याम सुन्दर बनाम

केशुराम अनवानी दिनांक 09.05.2015 में प्रार्थीगण पर न्यायालय द्वारा जारी सम्मन की विधिक तामील हुई है बावजूद तामील प्रार्थीगण के न्यायालय वाला में हाजिर नहीं होने के कारण ही निर्णय व डिक्री विधिवत तरीके से पारित की गयी। पहले साधारण सम्मन जारी किये गये थे लेकिन प्रतिवादीगण द्वारा जानबूझकर सम्मन की तामील से बचने के कारण प्रतिवादीगण रजिस्टर्ड एडी से तामील करवायी गयी। निर्णय व डिक्री दिनांक 19.05.2015 विधिसम्मत तरीके से पारित होने के कारण कोई त्रुटि नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य संतोषप्रद के कारण की परिभाषा में नहीं आते हैं। इसलिए प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में हुई देरी को कंडोन किया जाना उचित नहीं है, ना ही प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र के साथ कोई मियाद अधिनियम धारा 5 का प्रार्थना पत्र पेश किया गया इसलिए प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अपूर्ण व अस्पष्ट होने से खारिज योग्य है।

3 बहस उभयपक्ष प्रार्थना पत्र पर सुनी गयी। वकीलवादी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि श्याम सुंदर द्वारा एक वाद प्रार्थी के विरुद्ध पेश किया गया जिसमें वादी ने अपना कब्जा बताया। अतः बेदखली का प्रश्न नहीं था। दावा खारिज होने के बाद ग्यारह पेशियों तक सम्मन जारी नहीं हुए थे। तामील हेतु विधिवत प्रक्रिया नहीं अपनाई गयी। दिनांक 05.06.2014 को तामील रजिस्टर्ड एडी से करवाने का निवेदन किया गया। पूर्व में जारी सम्मन अदम तामील/तामील होकर अप्राप्त थे। दिनांक 31.07.2014 को रजिस्टर्ड एडी सम्मन की रसीदे पेश की गयी। प्रतिवादी गण को न्यायालय में उपस्थित होने के लिए आवाजें भी नहीं लगायी गयी। 10.09.2014 को स्टेट को औपचारिक पक्षकार बताते हुए जवाब बंद कर दिया गया। जबकि दावे में स्टेट औपचारिक पक्षकार नहीं बताया गया था। बिना किसी आदेश के मौका रिपोर्ट मंगवायी गयी। वादी द्वारा प्रार्थना पत्र इस बाबत नहीं पेश किया गया, ना ही प्रतिवादीगण/ प्रार्थीगण को सम्मन अखबारशाया नहीं कराया गया। केशुराम हस्ताक्षर करना नहीं जानता, अनपढ़ व्यक्ति है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में सहवन दिनांक 07.06.2015 की जगह दिनांक 07.05.2015 छप गया जो पैरा संख्या 8 में अंकित है। निर्णय 19.05.2015 को ही हुआ था। इससे पूर्व नकल लेना संभव नहीं था। अतः प्रार्थना पत्र अंदर मियाद पेश किया गया है। नकल के अभाव में प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 पेश किया जाना संभव नहीं था। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार फरमाया जाकर अनवानी

प्रकरण श्यामसुंदर बनाम केशुराम में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 19.05.2015 को अपास्त कर प्रार्थी गण को सुनवाई का अवसर दिया जावे।

4 वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में अपने जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों के आधार पर कथन किया कि आदेश 9 नियम 13 में पर्याप्त हेतुक बताया जाना आवश्यक है। वकील प्रार्थी द्वारा वादपत्र और वाद पर बहस की गयी। मूल वाद में धारा 151 सीपीसी के तहत मौका रिपोर्ट कोर्ट द्वारा मंगवाई गयी थी एवं वादीगण का मौखिक निवेदन स्वीकार किया जाकर न्यायालय स्तर से द्वारा रजिस्टर्ड एडी के आदेश दिए गए। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 में मूल डिक्री की नकल लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। केवल शपथ पत्र ही आवश्यक है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु 30 दिवस का समय है। अतः प्रार्थीगण को मूल वाद की जानकारी थी। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकारणीय नहीं होने से खारिज योग्य है।

5 बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा उक्त प्रार्थना पत्र से संबंधित मूल वाद न्यायालय द्वारा रिकॉर्ड शाखा से तलब किया गया। वकील वादी ने अपने प्रार्थना पत्र में पैरा संख्या 1 में मुख्य कथन किया कि न्यायालय के द्वारा प्रतिवादीगण पर कभी भी तामील नहीं करवायी गयी। पैरा सं. 2 में कथन किया कि कानूनी प्रावधानों के तहत प्रतिवादीगण पर व्यक्तिगत तामील के लिए सम्मन कभी जारी ही नहीं किए गए। इसके उपरान्त अपनी बहस में कथन किया कि तामील हेतु विधिवत प्रक्रिया नहीं अपनायी गयी एवं मूल वाद में आदेश दिनांक 05.08.2014 को तामील रजिस्टर्ड एडी से करवाने का निवेदन किया गया। पूर्व में जारी सम्मन अदम तामील/तामील शुदा प्राप्त नहीं हुए। इस बहस के तहत मूल वाद का अवलोकन किया गया। आदेश दिनांक 05.08.2014 के द्वारा प्रतिवादीगण पर तामील नहीं होने एवं वकील वादी द्वारा रजिस्टर्ड एडी सम्मन जारी करने का निवेदन स्वीकार करने के उपरान्त रजिस्टर्ड एडी सम्मन तलब करने हेतु आदेश दिया गया। जिसकी पालना में सम्मन जारी किए गए। प्रतिवादी संख्या 1, प्रतिवादी संख्या 2 के पिता है, जिनके नामकी हेतु जारी रजिस्टर्ड एडी बाद तामील पत्रावली पर शामिल प्राप्त। बाद तामील उपस्थित नहीं होने के कारण 12.08.2014 को एक तरफा कार्यवाही के आदेश किए गए। अतः आदेश 9 नियम 13 के तहत सम्मन की तामील समुचित रूप से नहीं की गयी थी या वाद

की सुनवाई के लिए पुकार होने पर उपसंजात होने से किसी पर्याप्त हेतुक से निवारित रहा था) के संबंध में कोई पर्याप्त हेतुक प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। मूल वाद में प्रतिवादीगण पर तामील सम्यक रूप से की गयी होना पाया गया एवं सुनवाई का अवसर दिए जाने के उपरांत न्यायालय में उपसंजात नहीं होने के कारण उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गयी। इसके अतिरिक्त स्टेट औपचारिक पक्षकार है, जवाब दावा बंद किया गया है, उक्त तथ्य आदेश 9 नियम 13 के तहत संधारणीय नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी पर्याप्त हेतुक के अभाव में काबिले खारिज है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी आधारहीन एवं सारहीन होने के कारण खारिज किया जाता है।

6 पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तरतीब तक्मील दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक 18/1/23 जो मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बिन्दु खत्री)
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर
(शहर), बीकानेर